भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 327

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

327. श्री अतुल गर्ग:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के अंतर्गत गाजियाबाद में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख लॉजिस्टिक्स अवसंरचना परियोजनाएं क्या हैं और व्यापार एवं औद्योगिक विकास पर उनका अपेक्षित प्रभाव क्या है;

(ख) गाजियाबाद में सड़क, रेल और पत्तन संपर्क सहित लॉजिस्टिक्स विकास के लिए बजट आवंटन कुल कितना है और इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार गाजियाबाद के मौजूदा परिवहन नेटवर्क के साथ समर्पित माल गलियारों और औद्योगिक संकुलों जैसे मल्टी-मॉडल परिवहन केंद्रों को एकीकृत करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यमें लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, भंडारण और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में निजी क्षेत्र के निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार कुशल माल ढुलाई सुनिश्चित कर रही है और परिवहन लागत कम कर रही है और विशेष रूप से एमएसएमई और निर्यात-संचालित उद्योगों के लिए व्यापार करने में सुगमता में सुधार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): गाजियाबाद में निम्नलिखित अवसंरचना परियोजनाएं पीएमजीएस राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत शामिल हैं:

i. डासना और फतेहाबाद (लोनी) में दो लॉजिस्टिक्स पार्क

ii. आगामी आरआरटीएस कॉरिडोर के निकट रणनीतिक रूप से स्थित दो परिवहन केंद्र

iii. तीन डेडिकेटिड ट्रक पार्किंग सुविधाएं

इन परियोजनाओं को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ख): पीएम गतिशक्ति पहल के तहत निधि का कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम-भाग-II, 2022-23 के भाग के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों को पीएम गतिशक्ति से संबंधित व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 5000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

(ग): डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर रूट पर मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों और निजी फ्रेट टर्मिनलों के विकास को सुगम बनाकर, डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करता है और अवसंरचना निर्माण में घरेलू इनपुट के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे वह एक आत्मनिर्भर और मजबूत घरेलू लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के निर्माण के समग्र लक्ष्य में योगदान देता है। डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर, अर्थात पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर और पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर, न्यू दादरी में आपस में जुड़ते हैं, जो मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क पर गाजियाबाद से जुड़ा है।

(घ): हाल के वर्षों में, भारत एफडीआई के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल रहा है। भारत ने आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी पूंजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वतःअनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वतःअनुमोदन मार्ग से प्राप्त होता है। भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए निवेशकों हेतु भारत सरकार के ऑनलाइन सिंगल प्वांइट इंटरफेस के रूप में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) भी शुरू किया गया है।

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के स्थान पर महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को अधिनियमित करना, मॉडल रियायत करार (एमसीए) में संशोधन और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण के दिशानिर्देशों को तैयार करने का कार्य पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। बंदरगाह विकास परियोजनाओं के लिए स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 (भंडारण/ड्राई पोर्ट) लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, वेयरहाउसिंग और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निवेश सहित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

(ङ): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) जैसी विभिन्न पहलों का उद्देश्य एकीकृत अवसंरचना विकास परियोजनाओं में लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना, ट्रांजिट समय और लागत को कम करना तथा राजमार्गों, रेलवे, पत्तनों, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक अवसंरचना और अंतर्देशीय जलमार्गों में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत विभिन्न पहलों का उद्देश्य एक लागत-कुशल, लचीला और सतत लॉजिस्टिक ईकोसिस्टम बनाना है। कुशल लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रगत योजना (एसपीईएल), सेवा सुधार समूह (एसआईजी) के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण का और अधिक डिजिटलीकरण करने की दिशा में प्रयास जैसे फोकस क्षेत्रों से ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में मदद मिलती हैं, वहीं यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी) का उद्देश्य घरेलू और निर्यात-संचालित, दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मजबूत करना है।

भारत के कंटेनरीकृत निर्यात-आयात कार्गो की 100% ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) नामक एक सिंगल विंडो, क्लाउड-आधारित लॉजिस्टिक्स विज़ुअलाइज़ेशन सॉल्यूशंस विकसित किया गया है, जो केवल कंटेनर नंबरों का उपयोग करके बंदरगाहों से लेकर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों, संबंधित बंदरगाह पार्किंग प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा और रेल तक कंटेनर की आवाजाही पर नज़र रखता है। इस आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता प्लेटफ़ॉर्म ने भारत के बंदरगाहों पर औसत ठहराव समय को कम करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने में योगदान दिया है।

*****